न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– आर0 के0 जायसवाल, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर
अपील (प्रकरण) संख्या :– 08/2019 RCMS No.2019/00016
उनवानी प्रकरण :–

1. राज्य सरकार जरिये समीक्षा दिनकर प्रवर्तन निरीक्षक सैपऊ —— प्रार्थी ।

बनाम

1. मैसर्स सन्दीप कुमार तिवारी पुत्र श्री किशनबाबू, व्यवस्थापक/प्रोपराइटर सन्दीप मोबाइल सेन्टर जाति ब्राह्मण निवासी पुराना बाजार तहसील सैपऊ जिला धौलपुर —— अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति :–
1. प्रार्थी की ओर से :– दिव्या कमठान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) ।
2. अप्रार्थी की ओर से:– श्री हरिबाबू गोयल अभिभाषक ।

निर्णय दिनांक 13.11.2019

निर्णय

प्रार्थी ने एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि दिनांक 22.2.2019 को जिला रसद अधिकारी धौलपुर के निर्देशानुसार प्रार्थी, हरविन्द्र शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक राजखेडा एवं सुबोध कुमार प्रवर्तन निरीक्षक बसेडी के साथ घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक कार्य में उपयोग कर गैस का दुरूपयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर मैसर्स सन्दीप मोबाइल पोइन्ट/सेन्टर खेरागढ़ रोड़ सैपऊ जिला धौलपुर पहुंचे। मौके पर सन्दीप मोबाइल सेन्टर के अन्दर 5 घरेलू सिलेन्डर शील्ड इण्डेन कम्पनी (आई0ओ0सी0एल0) पाये गये। पूछताछ एवं जानकारी करने पर सन्दीप कुमार तिवारी के एक गोदाम में घरेलू सिलेण्डरों के भण्डारण का पता चला जो कि सन्दीप मोबाइल सेण्टर से लगभग 30–35 मीटर की दूरी पर व्यवस्थित था। इस गोदाम को उपस्थित गवाहन के समक्ष खुलवाया गया। गोदाम की जॉच करने पर कुल 48 शील्ड पैक इण्डेन (आई0ओ0सी0एल0) कम्पनी के घरेलू पाये गये। इस सम्बन्ध में सन्दीप कुमार तिवारी व्यवस्थापक/ प्रोपराइटर सन्दीप मोबाइल सेन्टर से

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

गैस सिलेण्डरों से सम्बन्धित डायरी/कागजात मॉगें गये। इस सम्बन्ध में सन्दीप तिवारी द्वारा कोई संतोषप्रद जबाब नहीं दिया गया और न ही सम्बन्धित दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत किये। इस प्रकार सन्दीप कुमार तिवारी व्यवस्थापक/प्रोपराइटर सन्दीप मोबाइल सेन्टर, जाति ब्राह्मण निवासी पुराना बाजार तहसील सैपऊ द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 53 घरेलू गैस सिलेण्डर आई0ओ0सी0एल0 का तौल तसीमों इण्डेन ग्रामीण वितरक के प्रोपराइटर श्री रामबृज पुत्र श्री घूरेलाल को बुलवाकर करवाया गया तथा 53 गैस सिलेण्डरों को सन्दीप कुमार तिवारी व्यवस्थापक/प्रोपराइटर सन्दीप मोबाइल सेन्टर जाति ब्राह्मण निवासी पुराना बाजार तहसील सैपऊ के कब्जे से जब्त सरकार किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से जब्तशुदा 53 गैस सिलेण्डर को तसीमों इण्डेन ग्रामीण वितरक के प्रोपराइटर श्री रामबृज पुत्र घूरेलाल को बुलवाकर सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द अभिग्रहण (जब्ती) एवं फर्द सुपुर्दगी अलग से तैयार की गई जिस पर अप्रार्थी द्वारा बार- बार कहने के बाबजूद भी हस्ताक्षर करने से इन्कार किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त शुदा माल को राज सात किये जाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया कि उसे इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में आकर पेश करे।

अप्रार्थी की ओर से श्री हरीबाबू गोयल अभिभाषक ने अपना बकालतनामा पेश कर नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन व मनगढ़त है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अप्रार्थी के पास से कोई भी गैस सिलेण्डर खाली एवं भरे हुए जब्त नहीं किये गये हैं। अप्रार्थी ने घरेलू सिलेण्डरों का कोई भी अवैध भण्डारण नहीं किया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण अधिनियम) आदेश 2000 के किसी उपबन्ध का उल्लघंन नहीं किया है। प्रार्थी की कोई दुकान मौके पर नहीं है ना ही उसका कोई गोदाम है एवं ना ही उसके आधिपत्य में कोई गैस सिलेण्डर बरामद किये गये है। अप्रार्थी ने अतिरिक्त कथन में बताया कि अप्रार्थी एक प्रशिक्षित बेरोजगार है, वह सड़क के किनारे मेज लगाकर मोबाइल रिपेयरिंग का कार्य करता है उसका कोई संस्थान नहीं है ना ही किसी भी सरकारी विभाग में उसके नाम से कोई पंजीकरण है। सन्दीप मोबाइल रिपेयरिंग सेन्टर का अप्रार्थी मालिक है उसको प्रमाणित करने की कोई साक्ष्य मौखिक अथवा लिखित पत्रावली पर नहीं है जिसके अभाव में अप्रार्थी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। वास्तिविकता यह है कि दिनांक 21.02.2019 को सांय करीब 5 बजे मिनी ट्रक नं0 आर0 जे0 11 जी0बी0 1106 तसीमों इण्डेन ग्रामीण वितरक ऐजेन्सी का सैपऊ में आया उसमें गैस सिलेण्डर भरे हुए थे तब अप्रार्थी

(आर0 के0 जोधसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

गली के नुक्कड़ पर बैठकर कार्य कर रहा था तो उक्त ट्रक का पटा टूट गया तो उसके ड्राइवर ने मजदूर बुलवाकर ट्रक में रखे सिलेण्डरों को गली में एक मकान में ले जाकर रखवा दिया जिसकी उस वक्त बाजार में भविष्य की घटना की आंशका को देखते हुए फोटोग्राफी कराई जो प्रस्तुत है। जब बाजार में लिए गए फोटो की चर्चा हुई तो मुल्जिमान ने रसद विभाग वालों से सांठ–गांठ कर दिनांक 22.02.2019 को फर्जी व मनगढ़त कार्यवाही कर बिना कोई जॉच किये अपने अवैध उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए यह फर्जी कार्यवाही की है व दिनांक 22.02.2019 से दिनांक 26.02.2019 तक बिना जॉच किये अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर एफ आई आर झूठी दर्ज कराई है ताकि वास्तविक मुल्जिमान लाभान्वित हो सके। वक्त घटना के लिये गये फोटो से सिलेण्डरों के आधिपत्य, परिवहन, वितरण करने वाले व्यक्तियों की पहचान स्पष्ट है जो नहीं की गई है व अप्रार्थी को झूठी गवाही नहीं देने के कारण उसे आरोपित किया है व विभागीय अधिकारियों ने मात्र प्रंशसा पाने के उद्देश्य से यह कार्यवाही की है। तसीमों इण्डेन ग्रामीण वितरक ऐजेंसी सैंपऊ के मालिक रामबृज से सांठ–गांठ कर उसको बचाने के उद्देश्य से कार्यवाही की है जो निरस्त योग्य है। बरामद गैस सिलेण्डरों पर पहचान के नम्बर अंकित है लेकिन यह आई० ओ० सी० से कहॉ से उत्पादित कर किस ऐजेन्ट को किस साधन से भेजे गये कोई जॉच नहीं की गई है, यदि जॉच की जाती तो वास्तविकता स्पष्ट हो सकती थी व असली अपराधी जिन्होंने अवैध गैस सिलेण्डरों का आधिपत्य, परिवहन व वितरण किया है का आसानी से पता लग जाता लेकिन रसद विभाग के अधिकारियों ने अवैध उद्देश्यों की पूर्ति एवं स्वार्थवश कार्यवाही नहीं कर असली अपराधियों को बचाने के उद्देश्य से अप्रार्थी पर झूठा दोषारोपण किया है। अतः प्रकरण में अग्रिम जॉच के आदेश प्रदान किये जाकर उचित कार्यवाही की जावे ताकि अपराध में लिप्त गिरोह का पता लग सके व अप्रार्थी को न्याय मिल सके, गैस सिलेण्डरों की काला बाजारी करने वालों का भण्डाफोड़ हो सके। अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही निरस्त किये जाने व प्रकरण में आवश्यक जॉच कर कार्यवाही करने के आदेश दिये जावे है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका दिनांक 22.02.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि, फर्द अधिग्रहण दिनांक 22.02.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रमाणित प्रतिलिपि सुपुर्दगीनामा दिनांक 22.02.2019 पेश की।

अप्रार्थी ने अपने जबाव के समर्थन में दो फोटो मिनी ट्रक नं० आर०जे० 11 जी०बी० 1106 के प्रस्तुत किये।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस पेश की। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कोई लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की।

उभय पक्ष की मौखिक बहस सुनी गई। निर्णय से पूर्व प्रार्थी से प्रकरण में जिस गोदाम से गैस सिलेण्डर बरामद हुए है उस गोदाम का स्वामित्वधारी/ मालिक का सम्पूर्ण पता मय साक्ष्य एवं नजरी नक्शा की जानकारी चाही साथ ही बरामद गैस सिलेण्डरों पर अंकित नम्बरों के आधार पर आई ओ सी कम्पनी से यह

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

जानकारी चाही गई कि उक्त सिलेण्डर किस एजेन्ट को किस साधन से भेजे गये है।

प्रार्थी से प्राप्त रिपोर्ट 20.8.2019 के अनुसार अप्रार्थी मैसर्स संदीप कुमार की रिफिलिंग की दुकान में सिलाई की दुकान चलाया जाना पाया गया । रिफिलिंग दुकान के मालिक का नाम स्थानीय दुकानदारों से पूछे जाने पर श्री रामगोपाल शर्मा बताया गया। दुकान के सामने स्थित गली में गोदाम के मालिक श्री मंगल सिहं परमार बताया गया मंगलसिहं की मृत्यु हो जाने पर गोदाम का स्वामित्व उनकी पत्नी गुडडी देवी के पास होना बताया गया, उक्त कथन मंगल सिहं परमार के पुत्र संदीप के द्वारा बताया गया। मौके पर गोदाम खाली पाया गया जबकि दुकान में सिलाई मशीन की दुकान पायी गयी। प्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गैस कम्पनी इण्डेन के विकय अधिकारी से गैस सिलेण्डरों पर अंकित सीरियल नम्बर के सम्बन्ध में दूरभाष सूचना चाही गई विकय अधिकारी ने बताया कि गैस कम्पनी द्वारा रेण्डम तौर पर ही बिना सीरियल नम्बर के गैस सिलेण्डर गैस एजेन्सी को भेजे जाते हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एरिया जयपुर से जानकारी चाही गई जिसके प्रत्युत्तर में अवगत कराया है कि कॉरपोरेशन के प्लांट से जो सिलेण्डर भरकर वितरकों को विभिन्न आपूति वाहनों के माध्यम से भेजे जाते हैं उन भरे हुये सिलेण्डरों के सीरियल नम्बर का संधारण इण्डियन ऑयल कॉपोरेशन लि0 द्वारा नहीं किया जाता है। अतः सीरियल नम्बर देने में असमर्थता जतायी है।

पुनः दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक कार्य में उपयोग कर गैस का दुरूपयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर अप्रार्थी की दुकान खेरागढ़ रोड़ सैपऊ जिला धौलपुर पहुंचे। मौके पर प्रार्थी सेन्टर के अन्दर 5 घरेलू सिलेन्डर शील्ड इण्डेन कम्पनी (आई0ओ0सी0एल0) पाये गये। पूछताछ एवं जानकारी करने पर सन्दीप कुमार तिवारी के एक गोदाम में घरेलू सिलेण्डरों के भण्डारण का पता चला जो कि अप्रार्थी की दुकान से लगभग 30–35 मीटर की दूरी पर व्यवस्थित था। इस गोदाम को उपस्थित गवाहन के समक्ष खुलवाया गया। गोदाम की जॉच करने पर कुल 48 शील्ड पैक इण्डेन (आई0ओ0सी0एल0) कम्पनी के घरेलू पाये गये। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी से गैस सिलेण्डरों से सम्बन्धित डायरी/कागजात मॉगें गये। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जबाब नहीं दिया गया और न ही सम्बन्धित दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत किये। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है। फर्द अभिग्रहण (जब्ती) एवं फर्द सुपुर्दगी अलग से तैयार की गई जिस पर अप्रार्थी द्वारा बार– बार कहने के बाबजूद

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

भी हस्ताक्षर करने से इन्कार किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त शुदा माल को राज सात किये जाने के आदेश दिये जावे ।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी मौखिक बहस के दौरान लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अप्रार्थी के पास से कोई भी गैस सिलेण्डर खाली एवं भरे हुए जब्त नहीं किये गये है अप्रार्थी ने घरेलू सिलेण्डरों का कोई भी अवैध भण्डारण नहीं किया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण अधिनियम) आदेश 2000 के किसी उपबन्ध का उल्लघंन नहीं किया है। प्रार्थी की कोई दुकान मौके पर नहीं है ना ही उसका कोई गोदाम है एवं ना ही उसके आधिपत्य में कोई गैस सिलेण्डर बरामद किये गये है। अप्रार्थी सड़क के किनारे मेज लगाकर मोबाइल रिपेयरिंग का कार्य करता है। सन्दीप मोबाइल रिपेयरिंग सेन्टर का अप्रार्थी मालिक है इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य मौखिक अथवा लिखित प्रस्तुत नहीं किये हैं। वास्तविकता में दुकान का मालिक श्री रामगोपाल शर्मा है जिसकी पुष्टि प्रार्थी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 28.8.2019 से होती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका में अंकित किया है कि अप्रार्थी ने फर्द मौका पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया जबकि फर्द मौका पर अप्रार्थी संदीप के हस्ताक्षर हो रहे है। वास्तविकता यह है कि दिनांक 21.02.2019 को सांय करीब 5 बजे मिनी ट्रक नं0 आर0 जे0 11 जी0बी0 1106 तसीमों इण्डेन ग्रामीण वितरक ऐजेन्सी का सैपऊ में आया उसमें गैस सिलेण्डर भरे हुए थे तब अप्रार्थी गली के नुक्कड़ पर बैठकर कार्य कर रहा था तो उक्त ट्रक का पटा टूट गया तो उसके ड्राइवर ने मजदूर बुलवाकर ट्रक में रखे सिलेण्डरों को गली में एक मकान में ले जाकर रखवा दिया जिसकी उस वक्त बाजार में भविष्य की घटना की आंशका को देखते हुए फोटोग्राफी कराई । जब बाजार में लिए गए फोटो की चर्चा हुई तो मुल्जिमान ने रसद विभाग वालों से सांठ–गांठ कर दिनांक 22.02.2019 को फर्जी व मनगढ़त कार्यवाही कर बिना कोई जॉच किये अपने अवैध उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए यह फर्जी कार्यवाही की है व दिनांक 22.02.2019 से दिनांक 26.02.2019 तक बिना जॉच किये अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर एफआईआर झूठी दर्ज कराई है ताकि वास्तविक मुल्जिमान लाभान्वित हो सके। प्रार्थी एवं विभाग ने अवैध उद्देश्यों की पूर्ति एवं स्वार्थवश कार्यवाही नहीं कर असली अपराधियों को बचाने के उद्देश्य से अप्रार्थी पर झूठा दोषारोपण किया है। प्रकरण में जब्तशुदा माल 53 गैस सिलेण्डर यदि राजसात किये जाते हैं तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्व की गई कार्यवाही निरस्त की जावे। किन्तु प्रकरण में अग्रिम जॉच के आदेश प्रदान किये जाकर उचित कार्यवाही की जावे ताकि अपराध में लिप्त गिरोह का पता लग सके तथा गैस सिलेण्डरों की काला बाजारी करने वालों का भण्डाफोड़ हो सके।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन किया गया। प्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक कार्य में उपयोग कर गैस का दुरूपयोग किये जाने की शिकायत

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

प्राप्त होने पर अप्रार्थी की दुकान पर पहुंचे। मौके पर प्रार्थी सेन्टर के अन्दर 5 घरेलू सिलेन्डर शील्ड इण्डेन कम्पनी (आई0ओ0सी0एल0) पाये गये। इसके अतिरिक्त एक गोदाम में 48 शील्ड पैक इण्डेन (आई0ओ0सी0एल0) कम्पनी के घरेलू पाये गये। मौके पर उपस्थित गवाहान ने उक्त सिलेण्डर अप्रार्थी के होना बताया। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत नहीं हैं कि फर्द अभिग्रहण (जब्ती) एवं फर्द सुपुर्दगी अलग से तैयार की गई जिस पर अप्रार्थी द्वारा बार– बार कहने के बाबजूद भी हस्ताक्षर करने से इन्कार किया गया। जबकि फर्द मौका पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर हो रहे हैं। प्रार्थी के अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह सिद्ध हो सके कि जिस दुकान एवं गोदाम से गैस सिलेण्डर प्राप्त हुये हैं उस दुकान व गोदाम का मालिक/स्वामित्व धारी अप्रार्थी है। वास्तविकता में दुकान का मालिक श्री रामगोपाल शर्मा है जिसकी पुष्टि प्रार्थी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 28.8.2019 से होती है। प्रार्थी से प्राप्त रिपोर्ट 20.8.2019 के अनुसार अप्रार्थी की रिफिलिंग की दुकान में सिलाई की दुकान चलाया जाना पाया गया । दुकान के सामने स्थित गली में गोदाम के मालिक श्री मंगल सिहं परमार की पत्नी गुडडी देवी है। यह कथन मंगल सिहं परमार के पुत्र संदीप के द्वारा किया गया है। प्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गैस कम्पनी इण्डेन के विकय अधिकारी से गैस सिलेण्डरों पर अंकित सीरियल नम्बर के सम्बन्ध में दूरभाष सूचना चाही गई विकय अधिकारी ने बताया कि गैस कम्पनी द्वारा रेण्डम तौर पर ही बिना सीरियल नम्बर के गैस सिलेण्डर गैस एजेन्सी को भेजे जाते हैं। सीरियल नम्बर दिया जाना सम्भव नहीं है। अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि प्रकरण में जप्तशुदा गैस सिलेण्डरों को राजसात किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना एवं जप्तशुदा 53 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्तशुदा 53 घरेलू गैस सिलेण्डरों (आई.ओ. सी. एल. कम्पनी) जो सभी भरे हुए हैं को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खाद्य विभाग जयपुर से प्राप्त परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत न्यायालय से राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है, तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं । ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं, को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे । गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता । न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी । इस

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर

हेतु ऑयल कम्पनी से कोई राशि वसूल नहीं की जानी है । परन्तु ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी, वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा 53 घरेलू गैस सिलेण्डर(आई.ओ.सी.एल) को नियमानुसार निस्तारण कराकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में भेजें। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना हेतु जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राकेश कुमार जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर